FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं 37 / 2021 अन्तर्गत धारा 212 **Rt Act.**

श्रीमती लक्ष्मी राठौर बनाम भंवरसिंह आदि

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत करने बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 8-7-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ	
8/7/21	आज पत्रावली पेश हुई। वकीलान फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 13/7/21 को पेश हो। रीडर	
13/7/21	आज पत्रावली पेश हुई। वकीलान फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 23/7/21 को पेश हो। रीडर	
23/7/21	आज पत्रावली पेश हुई। वकीलान फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 13/8/21 को पेश हो। रीडर	
13/08/21	आज पत्रावली पेश हुई। वकीलान फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है / भ्रमण पर है। मिसल आयन्दा गत आदेशानुसार दिनांक 16/08/21 को पेश हो। रीडर	

Scanned with CamScanner

16/8/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक से हुई। जिसकी रसीद दावे में उपलब्ध है। वकील प्रार्थीया ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया खातेदार नही है व प्रार्थीया द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजात पेश नही किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह माना जा सके कि वाद वर्णित आराजी पर इनका अधिकार स्थापित होता है। ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण को वाद ग्रस्त भूमि के किसी विशिष्ट भाग पर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में नही पाये जाते है। अतः न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होगा बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

16/8/21

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़